

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5 न० वि० (गठन)-03/2017 **4077** /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, प्रकाशित करना चाहते हैं, जो उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप-प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

आदेश-प्रारूप

संख्या-5 न० वि० (गठन)-03/2017 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, बांका जिलान्तर्गत बाँसी प्रखण्ड के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:-

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

(क)	<u>ग्राम का नाम</u>	<u>थाना सं०</u>
	1. नाथथान (ग्राम पंचायत, कसबामंदार)	382
	2. कसबामंदार "	383
	3. बाँसी "	419
	4. बगडुम्बा (ग्राम पंचायत, बगडुम्बा)	386
	5. डिगरीपहाड़ी "	387
	6. विशनपुर "	388
	7. ब्रहमपुर "	389
	8. सिराय (ग्राम पंचायत, बभनगामा)	391
	9. दलिया (ग्राम पंचायत, दलिया)	418
	10. महुलीकिता "	416
	11. मेनमा "	417

(ख)

<u>चौहद्दी</u>	<u>ग्राम/थाना नम्बर</u>
उत्तर	महराणा 386
दक्षिण	गुरियामोड़ 392 का अंश
पूरब	आगराजोर 419
पश्चिम	सी०एम० कॉलेज 391 का अंश

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, बाँसी कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0 वि0 (गठन)-03/2017 4077 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-16/6/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0 वि0 (गठन)-03/2017 4077 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-16/6/17

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, /महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बांका/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0 वि0 (गठन)-03/2017 4077 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-16/6/17

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5 न0 वि0 (गठन)-03/2017 4077 अधिसूचना संख्या- दिनांक-16/01/2017 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

Notification

No-5 N.V. (Gathan)-03/2017 In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of those persons likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft will be considered within a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner in the period of the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

No-5 N.V. (Gathan)-03/2017 / In exercise of the powers conferred by sub section (1) (c) of section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the areas falling in the circle of the following villages of the Baunsi Block within the District of Banka whose boundary are noted below:-

1 (a) Name of villages and Thana Nos

<u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
1. Naththan (Gram Panchayat, Kasbamandar)	382
2. Kasbamandar	383
3. Baunsi	419
4. Bagdumba (Gram Panchayat, Bagdumba)	386
5. Digripahari	387
6. vishanpur	388
7. Brahmpur	389
8. Sirayn (Gram Panchayat, Babhangama)	391
9. Daliya (Gram Panchayat, Daliya)	418
10. Mahulikita	416
11. Menma	417

(b)

Boundary:-

North-	Mahrana	386
South-	Guriyamor	392 Part
East-	Agrajor	419
West-	C.M. College	391 Part

These area will be called the Nagar Panchayat, Baunsi

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Memo No -5 N.V. (Gathan)-03/2017 4078

Urban Development and Housing Department

UD&HD

Dated:- 16/6/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-5 N.V. (Gathan)-03/2017 4078 UD&HD

Dated:- 16/6/17

Copy to All Departments/Departmental Heads/All Divisional Commissioner/ All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Banka/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Memo No-5 N.V. (Gathan)-03/2017 4078

Urban Development and Housing Department

UD&HD

Dated:- 16/6/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department